581/2025 (पद.....

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम फागी पश्चिम के खाता सं. 794 खसरा नं. ——— में आवेदन पत्र अनुसार बाबूलाल के स्थान पर प्रह्लाद शर्मा पुत्र बच्छ राम शर्मा शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चत करें। आदेश केम्प ग्रा.पं.फागी ग्राम पंचायत फागी पश्चिम दिनांक 29/12/25 को मजमेआम में सुनाया गया।

प्रह्लाद पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी, फागी
जिला-जयपुर